ऑनलाइन लिंग-आधारित हिंसा
के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए SFLC.IN की मार्गदर्शिका

sflc.in unesco

Guide to Survive- How to Defend Your Online Spaces Against Online Gender Based Violence, 2024
By SFLC.in in partnership with UNESCO

© Copyright 2024 SFLC.in Licensed under Creative Commons BY SA NC 4.0

Published by: SFLC.in
K9, 2nd Floor, Birbal Road, Jangpura Extension,
New Delhi – 14, India.

Email: mail@sflc.in

Website: https://www.sflc.in

X: @SFLCin

OGBV का क्या अर्थ है?

लिंग आधारित हिंसा से तात्पर्य उन अपराधों से है जो लोगों के साथ होती हैं क्योंकि वे किसी विशेष लिंग के हैं, और इन्हें हानि पहुंचाने का इरादा रखकर की जाती हैं।चीजों को सरल रखने के लिए, आइए इसे OGBV कहें।

OGBV क्या हैं:

- **यह ऑनलाइन होता है।**
- **किसी के लिंग के आधार पर होता है।**
- **निम्नलिखित चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है -**

- मनोवैज्ञानिक, प्रतिष्ठा को नुकसान, शारीरिक (उदाहरण: उत्पीड़न)
- वित्तीय स्थिति पर प्रभाव-आर्थिक हानि (उदाहरण: ऑनलाइन जबरन वसूली, संपत्ति का नुकसान)
- सामाजिक अलगाव (उदाहरण: मानहानि)

सामान्य परिभाषाएँ:

जब किसी अपराध को परिभाषित करने की बात आती है तो आपको कानून में कुछ सामान्य शब्द मिलेंगे। हमने आपके संदर्भ के लिए इसे यहां सरल बनाया है:

- अश्लील: नैतिकता/शालीनता के मौजूदा मानकों के लिए कुछ इतना प्रतिकूल या आक्रामक कि इसे आम जनता द्वारा स्वीकार्य नहीं माना जाता है।
- यौन रूप से स्पष्ट: नग्नता, वास्तविक या नकली यौन कृत्यों का चित्रण।

यह मार्गदर्शिका आपकी सहायता के लिए डिज़ाइन की गई है और निम्नलिखित चीज़ों के बारे में ज्ञान देती है:

1. OGBV क्या है?
2. यदि आपने इसका अनुभव किया है/ कर रहे हैं।
3. उन दोषियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए कानून के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं?

निर्देशिका की बनावट

भाग 1

भाग 1 ऑनलाइन लिंग आधारित हिंसा (OGBV) की व्याख्या करता है।

भाग 2

भाग 2 में बताया गया है कि यदि आप OGBV का शिकार हो गए हैं तो आपके लिए कानूनी सहारा क्या है?

भाग 1: OGBV चेकलिस्ट

यह चेकलिस्ट एक उपकरण के रूप में काम करती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या कोई व्यक्ति ऑनलाइन लिंग आधारित हिंसा का शिकार हुआ है और यहाँ उनको इसके संबंधित कानूनी परिणामों के बारे में जानकारी मिल सकती है।

1. ऑनलाइन यौन उत्पीड़न

शारीरिक और व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले यौन उत्पीड़न का विस्तार:

A क्या कोई आपको ऐसे टिप्पणियां कर रहा है जो यौन स्वभाव की हैं?

B क्या वे आपसे यौन संबंधों की मांग या अनुरोध कर रहे हैं?

C क्या वे आपको अश्लील कंटेंट देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं?

D क्या वे आप की ओर लगातार आ रहे है

यदि A से D तक में से कोई भी सत्य है, और ऑनलाइन और आपकी सहमति के बिना हो रहा है, तो यह व्यवहार ऑनलाइन यौन उत्पीड़न है।

भारतीय दण्ड संहिता, धारा 354A

यौन उत्पीड़न: तीन साल तक की कैद और/या जुर्माना।
यौन टिप्पणियां: एक साल की कैद और/या जुर्माना।

यह धारा, उन महिलाएं जो ऑनलाइन, पुरुषों द्वारा इस तरह के व्यवहार का शिकार हो रही हैं, उनके लिए लागू होगी।

ऑनलाइन यौन उत्पीड़न

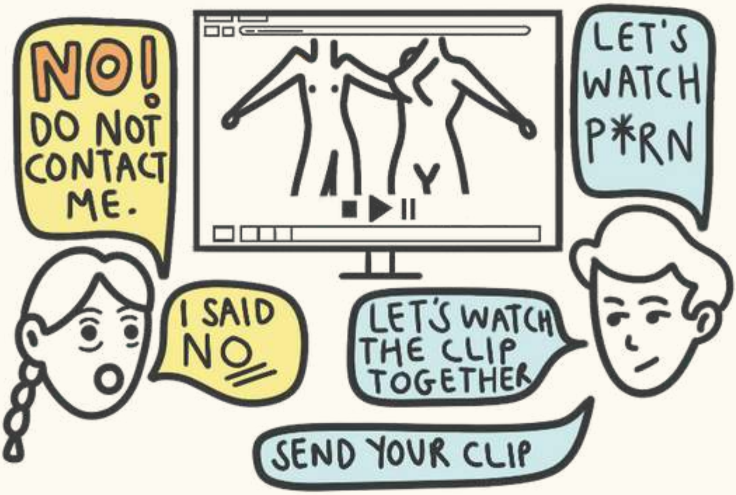

साइबरफ्लैशिंग

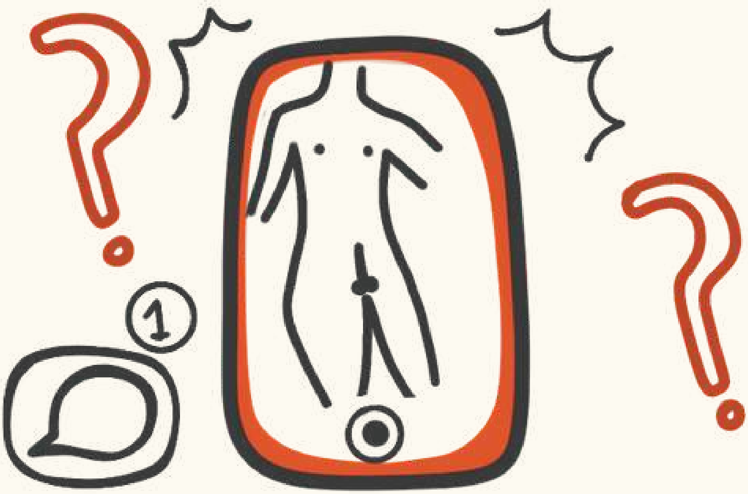

2. साइबरफ्लैशिंग

A क्या कोई आपको ऑनलाइन अश्लील या गन्दा कंटेंट भेज रहा है?

B क्या उनमें निजी छवियाँ या यौन कंटेंट शामिल हैं?

C क्या वे इसे आपकी सहमति के बिना कर रहे हैं?

यदि उपरोक्त लिखे सभी बिंदु सत्य हैं, तो यह संभवतः साइबरफ्लैशिंग का मामला है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 67

ला अपराध: 3 वर्ष की कैद साथ ही 5 लाख रुपये तक का जुर्माना।
आदतन अपराध: 5 वर्ष की कैद साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 67A

पहला अपराध: 5 वर्ष की कैद साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।
आदतन अपराध: 7 वर्ष की कैद साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।

यह धाराएँ, उन सभी व्यक्तियों के लिए लागू होगी जो भी इसका शिकार हुए हैं।

3. साइबर स्टॉकिंग

A क्या कोई बार-बार आपसे ऑनलाइन बातचीत करने की कोशिश कर रहा है?

B क्या यह तब भी जारी है जब आपने यह स्पष्ट कर दिया है की आपको कोई दिलचस्पी नहीं ?

C क्या आपको लगता है कि वे आपकी गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं? यानी वे आपको ऑनलाइन देखते हैं और आपसे संपर्क करते हैं, इस बात पर नज़र रखते हैं कि आप किसी ऐप पर कितनी बार सक्रिय हैं आदि।

D क्या आपको सूचित किया गया कि यह किसी अपराध को रोकने के लिए किया गया था? क्या आपको यह बताया गया कि कोई अपना कर्तव्य निभा रहा था? (उदाहरण स्वरूप, किसी मामले के तहत पुलिस अधिकारी के रूप में) या क्या आपको इस व्यवहार के लिए उचित औचित्य दिया गया था?

E क्या आपने पहले दो बिंदुओं पर कोई आईडी मांगी थी? (हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसा किया जाए ताकि आप सत्य होने की पुष्टि कर सकें, विशेष रूप से यदि कोई पुलिस अधिकारी बनने का दावा कर रहा है।)

यदि A, B और C में से कुछ भी सत्य है , तो यह संभावना साइबर स्टॉकिंग का मामला हो सकता है। यदि अंतिम सत्य था, तो कृपया ध्यान दें कि पिछली गतिविधियों को संभवतः साइबरस्टॉकिंग नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके लिए एक वैध औचित्य था।

भारतीय दण्ड संहिता, धारा 354D

पहला अपराध: 3 साल की कैद साथ ही जुर्माना।
आदतन अपराध: 5 साल की कैद साथ ही जुर्माना।

यह धारा, वह महिलाएं जो पुरुषों द्वारा साइबर स्टॉकिंगका शिकार हो रही हैं, उनके लिए लागू होगी।

4. व्यक्तिग अंतरंग फ़ोटो और वीडियो का अनवांछित प्रसारण

A क्या कोई आपकी अंतरंग तस्वीरें और/या वीडियो ऑनलाइन साझा कर रहा है?

B क्या आपने इसकी सहमति नहीं दी है?

C इसके अतिरिक्त लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं: क्या किसी रोमांटिक पार्टनर/पूर्व रोमांटिक पार्टनर ने ऐसा किया?

अगर आपने A और B सत्य है, तो यह संभवतः व्यक्तिगत अंतरंग फ़ोटो और वीडियो का अनवांछित प्रसारण का मामला है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 66E

3 साल की कैद साथ ही 2 लाख रुपये तक का जुर्माना।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 67A

पहला अपराध: 5 साल की कैद साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।
आदतन अपराध: 7 साल की कैद साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।

ऊपर उल्लिखित कानून आम तौर पर लागू होते हैं। यदि किसी रोमांटिक पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया है, तो यह रिवेंज पोर्न हो सकता है, जो अंतरंग पार्टनर की हिंसा का एक रूप है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसी स्थितियों में किसी भी कारण से आप दोषी नहीं हैं, और उन परिवार/दोस्तों तक पहुंचें जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं कि वे आपका समर्थन करेंगे। हम इसके बारे में अधिक जानकारी भाग 2 में देंगे।

यह धाराएँ, उन सभी व्यक्तियों के लिए लागू होगी जो भी इसका शिकार हुए हैं।

5. डॉक्सिंग

A क्या आपको अपने बारे में निजी जानकारी ऑनलाइन मिली? जैसे फ़ोटो, वीडियो, या टेक्स्ट जो आपके द्वारा सार्वजनिक रूप से साझा या पोस्ट नहीं किए गए थे, या आपके बारे में व्यक्तिगत विवरण जैसे कि आपका पता, आधार नंबर, चिकित्सा जानकारी जो आप नहीं चाहते कि कोई भी देखे?

B क्या यह आपके ज्ञान, सहमति के बिना हुआ?

C क्या उस जानकारी का उपयोग आपके विरुद्ध किया जा रहा है? क्या आपको परेशान किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है /धमकी दी जा रही है?

अगर उपरोक्त सभी बिंदुओं सत्य है, तो यह संभावना है कि यह डॉक्सिंग का मामला हो।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 67A

पहला अपराध: 5 साल की कैद साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना। आदतन अपराध: 7 साल की कैद साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 66E

3 साल की कैद साथ ही 2 लाख रुपये तक का जुर्माना।

भारतीय दण्ड संहिता, धारा 499

2 साल की कैद और/या जुर्माना।

यह धाराएँ, उन सभी व्यक्तियों के लिए लागू होगी जो भी इसका शिकार हुए हैं।

6. मॉर्फिंग/अत्यधिक रूपांतरण

A क्या आपने पाया कि जो तस्वीरें आपने ऑनलाइन पोस्ट की थीं, उन्हें अन्य उन तस्वीरों पर लगाया जा रहा है जो आपने नहीं लीं? क्या आप देख रहे हैं कि वीडियो में आपका चेहरा किसी और के चेहरे की जगह ले रहा है, और इसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि वीडियो में व्यक्ति वास्तव में आप हो?

B क्या यह आपकी सहमति और ज्ञान के बिना किया गया था?

C क्या वह अश्लील कंटेंट था?

D क्या आप मानते हैं कि यह डीप फेक/कृत्रिम रूप से तैयार की गई अश्लील कंटेंट भी हो सकती है? [इसे मॉर्फिंग के रूप में होना अनिवार्य नहीं]

यदि A से C तक सब सत्य है, तो संभावना है कि यह मॉर्फिंग/अत्यधिक रूपांतरण का मामला हो सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 66E

3 साल की कैद साथ ही 2 लाख रुपये तक का जुर्माना।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 67A

पहला अपराध: 5 साल की कैद साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।
आदतन अपराध: 7 साल की कैद साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 66D

3 साल की कैद साथ ही 1 लाख रुपये तक का जुर्माना।

यह धाराएँ, उन सभी व्यक्तियों के लिए लागू होगी जो भी इसका शिकार हुए हैं।

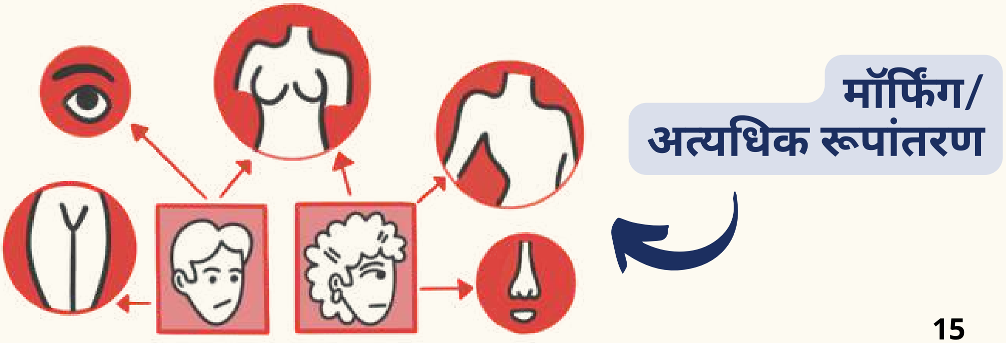

7. वॉयरिज़म

A क्या आपकी तस्वीरें/वीडियो या अन्य कंटेंट तब बनाई गई थी जब आप अनजान थे?

B क्या इसमें कोई निजी क्षण शामिल था जहां आपको गोपनीयता की उम्मीद थी।

C भले ही आपने इसे कैप्चर करने की अनुमति दी हो, क्या इसे आपकी सहमति के बिना साझा किया गया या ऑनलाइन पोस्ट किया गया?

यदि यह सब सत्य है, तो यह वॉयरिज़म का मामला हो सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता, धारा 354C

पहला अपराध: 1 साल से लेकर 3 साल की कैद साथ ही जुर्माना।
आदतन अपराध: 7 साल तक की कैद साथ ही जुर्माना।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000,धारा 67

पहला अपराध: 3 साल की कैद साथ ही 5 लाख रुपये तक का जुर्माना।
आदतन अपराध: 5 साल की कैद साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।

यह धाराएँ, उन सभी व्यक्तियों के लिए लागू होगी जो भी इसका शिकार हुए हैं।

8. ऑनलाइन यौन शोषण+सेक्सटॉर्शन

A क्या कोई आपसे आपकी इच्छा की विरुद्ध कपड़े उतरवा रहा है? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या आपको ख़तरा महसूस होता है या चोट लगने का डर है और यदि आप वह नहीं करते जो वह चाहते हैं तो आपकी सुरक्षा का डर है?

B क्या यह व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से ऐसा कर रहा है और आपको इंटरनेट पर ऐसे कृत्यों में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है?

C क्या आपको यौन संबंध बनाने, अधिक निजी तस्वीरें या वीडियो साझा करने की धमकी दी जा रही है? क्या कोई आपको ऐसा करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? क्या वे आपको चेतावनी देते हैं कि यदि आप उनके कहे अनुसार काम नहीं करेंगे तो आपके निजी विवरण, चित्र या वीडियो ऑनलाइन प्रसारित या साझा किए जाएंगे?

यदि यह सब सत्य है, तो यह संभावना है कि यह लैंगिक शोषण और सेक्सटॉर्शन का मामला हो।

भारतीय दण्ड संहिता, धारा 354

पहला अपराध: 2 साल की कैद और/या जुर्माना।
(धारा 354 सभी महिलाओं के लिए लागू होता है।)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 66E

3 साल की कैद साथ ही 2 लाख रुपये तक का जुर्माना।

भारतीय दण्ड संहिता, धारा 503

आपराधिक धमकी-अर्थात. किसी अन्य व्यक्ति, उनकी प्रतिष्ठा या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना: 2 साल तक की कैद और/या जुर्माना।

यदि गंभीर चोट या मौत का इरादा था, तो 7 साल तक की कैद और/या जुर्माना हो सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता, धारा 507

अनाम आपराधिक धमकी से संबंधित: यानी किसी के व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना: 2 साल की कैद और/या जुर्माना।

गंभीर चोट या मौत का कारण बनने के इरादे से किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना: 7 साल तक की कैद और/या जुर्माना।

यह धाराएँ, उन सभी व्यक्तियों के लिए लागू होगी जो भी इसका शिकार हुए हैं।

9. लिंग आधारित घृणास्पद भाषण

A क्या आप लिंग आधारित अपशब्दों सहित ऑनलाइन हिंसक, आपत्तिजनक या भेदभावपूर्ण कंटेंट का निशाना बने हैं? क्या आप मानते हैं कि लोग आपको ऐसे घृणित संदेश इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि आप एक विशेष लिंग से हैं?

B क्या आपको लगता है कि यह कंटेंट संभावित रूप से आपको, आपकी प्रतिष्ठा को, आपकी संपत्ति और आपसे जुड़े अन्य लोग को नुकसान पहुंचा रहा है?

C क्या किसी कंटेंट में आपको शारीरिक रूप से चोट पहुंचने की या जान से मरने की धमकी दी गई है?

यदि A और B सत्य है, तो यह संभवतः लिंग आधारित घृणास्पद भाषण है।

भारतीय दंड संहिता, धारा 499

2 साल की कैद और/या जुर्माना।

भारतीय दंड संहिता, धारा 509

3 वर्ष की कैद साथ ही जुर्माना।

भारतीय दण्ड संहिता, धारा 503

आपराधिक धमकी-अर्थात. किसी अन्य व्यक्ति, उनकी प्रतिष्ठा या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना: 2 साल तक की कैद और/या जुर्माना।

यदि गंभीर चोट या मौत का इरादा था, तो 7 साल तक की कैद और/या जुर्माना हो सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता, धारा 507

गुमनाम आपराधिक धमकी से संबंधित: यानी किसी के व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना: 2 साल की कैद और/या जुर्माना।

गंभीर चोट या मौत का कारण बनने के इरादे से किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना: 7 साल तक की कैद और/या जुर्माना।

यह धाराएँ, उन सभी व्यक्तियों के लिए लागू होगी जो भी इसका शिकार हुए हैं।

लिंग आधारित
घृणास्पद भाषण

10. आइडेंटिटी थेफ्ट

A क्या आपका पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या आपके बारे में अन्य विशिष्ट जानकारी का उपयोग किसी और ने आपके होने का दिखावा करने के लिए किया था?

B क्या किसी ने कपटपूर्ण गतिविधि में शामिल होने के लिए कोई संचार, अभ्यावेदन या बयान दिया है? उदाहरण: क्या आपको पता चला कि आपके नाम पर नए ऋण लिए जा रहे थे?

यदि यह सब सत्य है, तो यह आइडेंटिटी थेफ्ट का मामला हो सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 66C

3 साल तक की कैद साथ ही 1 लाख रुपये तक का जुर्माना।

यह धाराएँ, उन सभी व्यक्तियों के लिए लागू होगी जो भी इसका शिकार हुए हैं।

आइडेंटिटी थेफ्ट

11. नाबालिगों के खिलाफ विशेष अपराध

A क्या कोई चित्र या पाठ या कंटेंट ऑनलाइन बनाये जा रहे हैं?

B क्या उन्हें एकत्र किये जा रहे हैं?

C क्या ऐसे कंटेंट का विषय बच्चा/बच्चे हैं?

D क्या उन्हें अश्लील/यौन रूप से चित्रित किया जा रहा है?

यदि उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो यह नाबालिकों के विरुद्ध अपराध हैं।

E क्या ऐसे कंटेंट का विज्ञापन/विनिमय/वितरण किया जा रहा है?

F क्या ऐसे कंटेंट को डाउनलोड किया जा रहा है?

G क्या ऐसे कंटेंट को ब्राउज किया जा रहा है?

H क्या बच्चों को इस तरह से ऑनलाइन रिश्ते विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिससे एक उचित वयस्क को ठेस पहुंचे?

I क्या इस कंटेंट के वितरण को आसान किया जा रहा है?

यदि A से D तक उपरोक्त में से कोई भी सत्य है, तो यह अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67बी के तहत दंडनीय अपराध होगा। E से I अपराध के घटित होने के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 67B

आदतन अपराध: 7 साल की कैद साथ ही 7 लाख रुपये तक जुर्माना।

यह धाराएँ, उन सभी बच्चों के लिए लागू होगी जो भी इसका शिकार हुए हैं।

भाग 2: आप और कौन से अन्य तरीके अपना सकते हैं?

हर चीज़ का दस्तावेजीकरण करें।

स्क्रीन्शॉट लें, प्रत्येक इंटरेक्शन, प्रत्येक साईट जिस पर आप कंटेंट देखतें हैं, वह तारीख़ें, जो प्रोफ़ाइल आप देख रहे हैं ; जिन पर कंटेंट पोस्ट की जा रही हैं उनका दस्तावेज़ीकरण करें। याद रखें कि यह सब उस अपराध का सबूत है जो किया जा रहा है, जितना हो सके उतना सावधान रहें।

प्रतिवेदन

- देखें कि क्या कोई 'रिपोर्ट' करने का विकल्प है। यह आपको साईट/सोशल मीडिया साईट (जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम) को कार्यवाई करने और उस कंटेंट को हटाने के लिए कहने की अनुमति देता है। आपको कुछ श्रेणियां मिलेंगी जिनके अंतर्गत आप इस कंटेंट की रिपोर्ट कर सकते हैं - आमतौर पर “अनुचित”, “धमकाने/उत्पीड़न”, “हिंसा” इत्यादि। भारत मे क़ानून के अनुसार, सोशल मीडिया साइटों को आपकी शिकायत स्वीकार करने और इसे प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर उचित कार्यवाई करने की आवश्यकता होती है। सुनीक्षित करें की इसकी रिपोर्ट की गई है, और विश्वस्नीय मित्रों और परिवार से इसकी रिपोर्ट करने का अनुरोध करें।

- आपको अपने खाते पर निर्णय के बारे मे एक अपडेट प्राप्त होगा। यदि आप इससे नाख़ुश हैं, तो आपके पास यह अनुरोध करने का भी विकल्प है की वह अपने निर्णय की समीक्षा करें।

- यदि समीक्षाओं का अनुरोध करने और उनके निर्णय लेने के बाद, आपको लगता है की सोशल मीडिया साइट ने सही निर्णय नहीं लिया है, तो आप सरकार की शिकायत अपीलीय समिति के पास https://gac.gov.in/ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

- यह समझने के लिए की आपके आवेदन की उनके द्वारा समीक्षा कैसे की जाएगी, यह अनुशंसा की जा सकती है की आप निचे दिए गए लिंक पर कुछ अवसर पूछे जाने वाले प्रशनों पर नज़र डालें। वे इस बार बारे मे अंतिम निर्णय लेते हैं की कंटेंट के साथ क्या किया जायेगा।

  https://gac.gov.in/CMSData/FAQs?qs=+WcLOPiE4QBLh0NRiMqmqQ==

- सरकार के पास एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, जहाँ आप इन घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं: https://cybercrime.gov.in/Webform/crmcondi.aspx.

  हेल्पलाइन नंबर 1930 है।
  महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है।

  पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करने से पहले, उनके अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर भी एक नज़र डालें:(

  https://cybercrime.gov.in/Webform/FAQ.aspx

  हम आपको यह भी समय पर करने की सलाह देते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि यदि आप बाद में साइबर पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, तो संभावना है कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने पहले ही ऐसा किया है। आप यह तब भी कर सकते हैं जब प्लेटफ़ॉर्म पर आपकी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

एफआईआर दर्ज करें।

- यदि आप पुलिस में एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या यदि आपके शहर में साइबर क्राइम यूनिट है तो वहां जाएं। स्थान आमतौर पर Google Maps पर उपलब्ध होते हैं। यदि वे आपको दाखिल करने से हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, तो कृपया दोहराएँ कि आपने वह किया है जो आवश्यक था और आप इसे रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं।

- यदि आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां वे आपकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते हैं, तो आप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (3) के तहत पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

- आपके पास दूसरे पुलिस स्टेशन में जाने का विकल्प भी है - भले ही उनके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, फिर भी वे इसे दर्ज कर सकते हैं और इसे संबंधित स्टेशन में स्थानांतरित कर सकते हैं (इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है)। यदि यह काम नहीं करता है तो आप शिकायत दर्ज करने के लिए स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर सकते हैं।

कृपया याद रखें कि आपको कानून के तहत शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।

- एफआईआर दर्ज करना: कृपया जो कुछ हुआ उसे यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखने का प्रयास करें। प्रासंगिक विवरण शामिल करें। आप उन्हें घटना के बारे मैं मौखिक रूप से भी बता सकते हैं और अधिकारी इसे लिख लेंगे। कृपया जाँच लें कि यह सटीक हा - वे इसे आपको पढ़कर भी सुनायेंगे; यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनसे ऐसा करना का अनुरोध करें। सुनिश्चित करें कि आपको एफआईआर की एक प्रति उस पर मुहर लगी हुई है (उस पर पुलिस डायरी नंबर, “डीडी नंबर” के साथ), और एफआईआर नंबर, आपके द्वारा दर्ज की गई तारीख़ और अपने द्वारा किये गए पुलिस स्टेशन का ध्यान रखें।

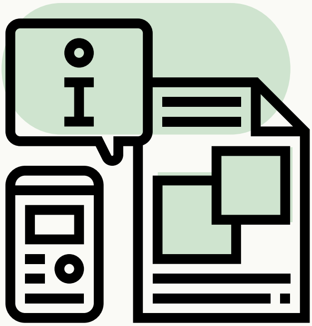

आईपीसी, 1860 - भारतीय दंड संहिता, 1860
आईटी अधिनियम, 2000 - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 499
आपराधिक मानहानि से संबंधित, ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाता है जो (बोलकर या लिखकर) किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं, या जानते हैं कि उनके कार्यों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा।

भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 354
महिलाओं का शोषण और जबरन वसूली: यह किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है जो किसी महिला पर हमला करता है या उसे इस तरह से कार्य करने के लिए मजबूर करता है जिससे उसकी शीलता भंग हो सकती है।

भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 354A
उन व्यवहारों को परिभाषित और दंडित करता है जो यौन उत्पीड़न के योग्य हैं।

भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 354C
ऐसे किसी भी पुरुष को दंडित करता है जो गुप्त रूप से या घुसपैठ करके किसी निजी कार्य में संलग्न महिला की छवि खींचता है। महिला की सहमति के बिना इन खींची गई तस्वीरों को साझा करने या वितरित करने के लिए किसी भी पुरुष को दंडित करता है।

भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 354D
पीछा करने के अपराध से संबंधित है। IPC 354D को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक संचार या किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी के संदर्भ में पीछा करने के कृत्य को अपराध बनाने के लिए पेश किया गया था।

भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 503
आपराधिक धमकी से संबंधित: यानी किसी अन्य व्यक्ति, उनकी प्रतिष्ठा या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।

भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 507
आपराधिक धमकी से संबंधित, गुमनाम संचार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, उनकी प्रतिष्ठा या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।

भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 509
किसी महिला की गरिमा का अपमान करने या किसी महिला की गोपनीयता का उल्लंघन करने पर दंडित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 154(3)
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की ओर से इनकार करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा, पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। संबंधित पुलिस, यदि संतुष्ट है कि ऐसी जानकारी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती है, तो या तो स्वयं मामले की जांच करेगी या इस संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को जांच करने का निर्देश देगी, और ऐसा अधिकारी ऐसा करेगा और उस अधिकारी को उस अपराध के सम्बन्ध मे पुलिस थाने के भारसादक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 66C
आइडेंटिटी थेफ्ट की सज़ा से संबंधित है। यह धारा विशेष रूप से नुकसान पहुंचाने या धोखाधड़ी करने के इरादे से किसी और की पहचान का बेईमानी से उपयोग करने के अपराध को संबोधित करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 66D
जो कोई भी संचार उपकरण या कंप्यूटर के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति की पहचान बनाकर धोखाधड़ी करेगा, उसे दंडित किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 66E
जो कोई किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी क्षेत्र की तस्वीरें ऑनलाइन साझा करता है, उसे दंडित किया जा सकता है क्योंकि यह उनकी शारीरिक गोपनीयता का उल्लंघन करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 67
अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने पर जुर्माना लगाया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 67A
इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील यौन कंटेंट वाली कंटेंट के प्रकाशन या प्रसारण पर जुर्माना लगाया जाता है।

धारा 67 एवं 67A का दुरुपयोग:
ये धाराएं महत्वपूर्ण दंड देती हैं, और 'अश्लील' और 'यौन रूप से स्पष्ट' जैसे शब्दों की अस्पष्ट व्याख्या होने के कारण, उनका नियमित रूप से दुरुपयोग किया गया है और अंधाधुंध गिरफ्तारियां हुई हैं। धाराएँ ऐसी सामग्री के प्रसारण और प्रकाशन को दंडित करती हैं। वे सहमति से किए गए कृत्यों को गैर-सहमति से किए गए कृत्यों से अलग नहीं करते हैं, या तो इन अपराधों पर लागू हो सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 67B
बच्चों को अश्लील यौन कृत्यों में चित्रित करने वाली कंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड से संबंधित है।

sflc.in unesco